T.S 795/13

18-8-23
6-10-23

अभिलेख कार्यालय से आज प्राप्त हुआ।

वादी - प्रतिवादी की पैरवी है।

वादी की तरफ से आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सी॰ पी॰ सी॰ के तहत आवेदन दाखिल करके आवेदन प्रस्तावित किया गया। वादी के अधिवक्ता का सुनवाई के दौरान कहना है कि प्रतिवादी संख्या 1 हरण कान्त तिवारी की मृत्यु दिनांक 22-5-2021 को हो गई है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 हरणकांत तिवारी का नाम वाद पत्र से विलोपित करके उनके विधिक वारिसों का नाम वाद पत्र में अंकित करने की प्रार्थना करते हैं।

प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन पर No objection दर्ज किया गया है।

सुना, संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन ~~किया गया~~ से विदित होता है कि वादी का प्रतिस्थापन आवेदन समय सीमा के अंतर्गत नहीं है।

लगातार

T.S 795/13

पेशकार
6-10-23

इसलिए वादी का प्रतिस्थापन आवेदन विलंब माफी करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।
वादी के अधिवक्ता आपकी उपस्थिति में कार्यालय से प्रतिवादी संख्या 1 हरण कान्त तिवारी का नाम वाद पत्र से विलोपित करके उनके विधिक वारिसानों का नाम वाद पत्र में अंकित करावें। वादी द्वारा आवश्यक अपेक्षाएँ दाखिल होने पर कार्यालय जाँच उपरान्त नोटिस निर्गत करें।
दिनांक 24-11-23 वास्ते उपस्थिति।

ह०
SJ III

T.S 653/13

8-10-23. वादी- प्रतिवादी की पैरवी है।
वादी की तरफ से दाखिल प्रदर्श आवेदन दिनांक 30-6-23 को प्रस्तावित किया गया।
वादी के विद्वान अधिवक्ता का सुनवाई के दौरान कहना है कि आवेदन में वर्णित सभी दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करने की प्रार्थना करते हैं।

प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा आवेदन में वर्णित क्रम संख्या 8 पर मौखिक विरोध किया गया।

सुना। संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दाखिल दस्तावेजों में क्रम संख्या 1 से लेकर 7 लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। तथा क्रम सं० 8 लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है। वादी के प्रदर्श आवेदन में क्रम सं० 8 को छोड़कर सभी दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित किया जाता है। वादी यदि चाहे तो क्रम संख्या 8 को विधि अनुकूल प्रदर्श अंकित करा सकते हैं।

वास्ते आदेश अग्रिम कार्यवाही/ [illegible]

T.S 653/13

6-10-23.

वादी- प्रतिवादी की पैरवी है। वादी की तरफ से दाखिल प्रदर्श आवेदन दिनांक 30-6-23 को प्रस्तावित किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता का सुनवाई के दौरान कहना है कि आवेदन में वर्णित सभी दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करने की प्रार्थना करते हैं।

प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा आवेदन में वर्णित क्रम संख्या 8 पर मौखिक विरोध किया गया।

सुना। संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दाखिल दस्तावेजों में क्रम संख्या 1 से लेकर 7 लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। तथा क्रम सं० 8 लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है। वादी के प्रदर्श आवेदन में क्रम सं० 8 को छोड़कर सभी दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित किया जाता है। वादी यदि चाहे तो क्रम संख्या 8 को विधि अनुकूल प्रदर्श अंकित करा सकते हैं।

[illegible] वास्ते अग्रिम कार्यवाही/[illegible]

T.S 266/2009

6-10-23

वादी की पैरवी है। प्रतिवादी अनुपस्थित है।

वादी की तरफ से दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन को आज प्रस्तावित किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का सुनवाई के दौरान कहना है कि प्रतिवादी संख्या 27 तेज नारायण ठाकुर दिनांक 27-11-22 को अपने दो पुत्र को वारिस छोड़कर स्वर्गवास कर गये हैं। इसलिए प्रतिवादी संख्या 27 तेज नारायण ठाकुर का नाम वाद पत्र से विलोपित करके उनके विधिक वारिसों का नाम वाद पत्र में अंकित करने की प्रार्थना करते हैं।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी की तरफ से दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन समय सीमा के अंतर्गत है। इसलिए वादी का प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 20-1-23 को यथोचित में स्वीकृत किया जाता है। वादी के अधिवक्ता अपनी उपस्थिति में कार्यालय से प्रतिवादी संख्या 27 तेज नारायण ठाकुर का नाम वाद पत्र से विलोपित करके उनके विधिक वारिसों का नाम

[illegible]

T.S 266/09

लगातार

वाद पत्र में अंकित करावें। वादी द्वारा आवश्यक औपचारिकताएँ दाखिल होने पर कार्यालय जाँच उपरांत नोटिस निर्गत करें।
दिनांक 6-12-23 वास्ते उपस्थिति।
लेखा०
SJ III